भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

माउंटबेटन योजना को स्वीकृत करने के बाद जनमत-संग्रह का काम प्रारंभ हुआ। पंजाब और बंगाल के हिंदू बहुमत वाले क्षेत्रों ने भारत के साथ रहने पर सहमति प्रकट की और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त, सिन्ध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और असम के सिलहट जिले ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भारत दो हिस्सों में बंट गया।

माउंटबेटन योजना के अनुसार एक विधेयक 4 जुलाई, 1947 ई० को पेश किया गया और 18 जुलाई को स्वीकृत कर लिया गया। स्वीकृत विधेयक 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' के नाम से प्रसिद्ध है।

भारत की अखंडता समाप्त कर दो पृथक राष्ट्रों का निर्माण किया गया - 'भारत और पाकिस्तान'। दोनों राष्ट्रों को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख उपबन्ध

क्रमशः इस प्रकार थे —

(1) 15 अगस्त, 1947 ई० को भारत दो अधिराज्यों में विभाजित किया गया - एक का नाम भारत और दूसरे का पाकिस्तान।

भारत के अंदर बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम (सिलहट छोड़कर) दिल्ली, अजमेर मेवाड़ और कुर्ग के क्षेत्र रखे गये।

पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, सिन्ध, बलूचिस्तान

उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को सम्मिलित किया गया। दोनों राष्ट्रों को स्वतंत्र औपनिवेशिक पद प्रदान किया गया।

(ii) दोनों उपनिवेशों को संविधान सभा की ब्रिटिश सरकार सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी और वे अपने स्वानुसार संविधान के निर्माण में स्वतंत्र रहेंगी।

(iii) दोनों उपनिवेशों में एक-एक गवर्नर जनरल रहेंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के परामर्श से की जायेगी।

(iv) जबतक संविधान का निर्माण नहीं होगा तबतक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उपनिवेशों का शासन चलेगा।

(v) दोनों उपनिवेश अपने स्वानुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने या संबंध विच्छेद करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

(vi) पंजाब और बंगाल में सीमा निर्धारण का काम एक आयोग के सुपुर्द किया गया। सर रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे। रेडक्लिफ के निर्णय को भारत और पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया।

(vii) 15 अगस्त 1947 ई० के बाद देशी राज्यों से ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता समाप्त हो गई और सरकार की पूर्व में की गयी सभी संधियां भी निरस्त कर दी गई।

(viii) देशी राज्यों को भारत या पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र में सम्मिलित होने या स्वतंत्र स्वतंत्र रहने की छूट दी गयी।

(ix) कैबिनेट मिशन के अंदर बैठाई गई संविधान सभा देश विभाजन के दो भागों में बंट गयी।

1947 ई० के अधिनियम का मूल्यांकन

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान दो

Scanned with CamScanner

: पृथक् अधिराज्यों की स्थापना की गई।

स्वाधीनता संघर्ष के दौरान अखंड भारत की कल्पना अधूरी रह गई।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से कई सदियों से चली आ रही पराधीनता के इतिहास की समाप्ति हो गई। देश आजाद हुआ और भारत स्वतंत्र राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया। इस अधिनियम के साथ भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने संसद में कहा था कि 'यह घटनाओं के लंबे तांते की चरम सीमा है।' लार्ड सैमुएल ने इसे इतिहास की एक अनोखी घटना और बिना युद्ध के शांति-संधि कहा था।

मजदूर दल ने भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपकर (Labour party) अपना लक्ष्य पूरा किया।

Rajesh Kr. Singh
Asst. Prof History.
D.S.P.M.